लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या2264
दिनांक 02.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पहचान कार्ड योजना

2264. श्री सी.पी.जोशी:
डॉ. राजश्री मल्लिकः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2016 में पूरे देश में हस्तशिल्प कारीगरों के पंजीकरण के लिए शुरू की गई "पहचान" योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के तहत अब तक राज्य-वार पंजीकृत कारीगरों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के तहत पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगरों को वित्तीय लाभ/सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो अब तक लाभान्वित हुए कारीगरों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कारीगरों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) : पहचान योजना की शुरुआत हस्तशिल्प कारीगरों को एक नई पहचान देने के लिए वर्ष 2016 में की गई थी ताकि योग्य कारीगरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सकें। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के फील्ड कार्यालयों द्वारा उचित सत्यापन के उपरांत आधार लिंक्ड पहचान कार्ड जारी किए जाते हैं। केवल पहचान कार्ड धारक ही वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी हस्तशिल्प योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(ख): दिनांक 30.06.2023 तक देश भर के 31.14 लाख हस्तशिल्प कारीगर पंजीकृत किए गए हैं। हस्तशिल्प कारीगरों के राज्य-वार आंकड़े **अनुलग्नक-I** पर हैं।

(ग) : केवल पहचान कार्ड धारक पंजीकृत कारीगर ही वस्त्र मंत्रालय की राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और वृहत्त हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) एवं (ङ): इन योजनाओं के तहत पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगरों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों/सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

1) कौशल एवं प्रशिक्षण उन्नयन, डिजाइन विकास कार्यशालाएं, टूलकिट वितरण, विपणन मंच, संरचनात्मक सहायता।
2) कारीगरों को मुद्रा ऋण, ब्याज में छूट और मुद्रा ऋण पर मार्जिन मनी जैसे व्यक्तिगत लाभ।
3) सिद्धहस्त कारीगरों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार।
4) अभावग्रस्त परिस्थितियों के तहत पुरस्कार प्राप्तकर्ता कारीगरों को 8,000/- रु. की मासिक पेंशन।

वर्ष 2022-23 के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल 1.17 लाख कारीगर लाभान्वित हुए।

अनुलग्नक-I

'पहचान कार्ड योजना' के संबंध में दिनांक 02.08.2023 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2264 के भाग (ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट अनुलग्नक।

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत कारीगर (दिनांक 30.06.2023 तक)
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3,201
2.	आंध्र प्रदेश	64,663
3.	अरुणाचल प्रदेश	10,343
4.	असम	1,02,932
5.	बिहार	1,39,616
6.	छत्तीसगढ़	16,019
7.	दिल्ली	21,309
8.	गोवा	10,041
9.	गुजरात	1,37,816
10.	हरियाणा	51,395
11.	हिमाचल प्रदेश	28,234
12.	जम्मू एवं कश्मीर	1,51,203
13.	झारखंड	1,07,940
14.	कर्नाटक	42,577
15.	केरल	52,994
16.	लद्दाख	3,714
17.	मध्य प्रदेश	97,036
18.	महाराष्ट्र	74,423
19.	मणिपुर	71,093
20.	मेघालय	6,192
21.	मिजोरम	6,006
22.	नागालैंड	13,723
23.	ओडिशा	1,92,506
24.	पुदुचेरी	17,560
25.	पंजाब	38,729
26.	राजस्थान	1,62,651
27.	सिक्किम	3,116
28.	तमिलनाडु	67,500
29.	तेलंगाना	44,677
30.	त्रिपुरा	21,038
31.	उत्तर प्रदेश	10,14,283
32.	उत्तराखंड	42,890
33.	पश्चिम बंगाल	2,97,048
	कुल	**31,14,468**

****